न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (खैरथल–तिजारा) राज0

पीठासीन अधिकारी संजीव कुमार वर्मा (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
238A /2022	16-5-2022	15/10/2024

उनवान

01. प्रदीप पुत्र श्री दलीप सिंह निवासी ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा, हाल आबाद पैट्रोल पम्प के पास, तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

——:: वादी

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

———:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज,
अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नं. 331 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 37 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 168 रकबा 2.19 हैक्टेयर, 272 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 327 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 270 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 271 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 333 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 273 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 33 रकबा 0.50 हैक्टेयर, 36 रकबा 0.51 हैक्टेयर, 38 रकबा 0.48 हैक्टेयर, 111 रकबा 0.56 हैक्टेयर वाके ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी मे मिन वादी के नामित हिस्सा इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलजिमा हाल जमाबन्दी सलंग्न वाद पत्र है। उक्त वर्णित आराजी वादी व वादी के परिवारजन को अपने पिता से विरासत से प्राप्त हुई है। वादी व परिवारजन तथा अन्य सहखातेदारान के नाम मुताबिक जमाबन्दी में शामलात का अंकन दर्ज रिकार्ड है। मिन वादी का वास्तविक नाम प्रदीप था और मिन वादी के आधार कार्ड, पैनकार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, शैक्षणिक दस्तावेज में वास्तविक व सही नाम प्रदीप का अंकन है। मिन वादी को गांव में दोना नाम पप्पू व प्रदीप से जाना जाता रहा है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने वादी के नाम विवादित आराजी का अंकन राजस्व रिकार्ड में करते समय वादी के घर के बोलते हुये नाम पप्पू का अंकन कर दिया। जबकि राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों को मिन वादी के दस्तावेज के अनुसार सही नाम प्रदीप का अंकन जमाबन्दी में करना चाहिये था। वादी का गलत नाम पप्पू के जमाबन्दी में अमल रहने से वादी के हकूको पर कुठाराघात होता है, जो गलत नाम वादी के हकूको के खिलाफ बातिल वो बेअसर है। जिसे वादी गलत नाम पप्पू को जमाबन्दी से हजफ कराकर दस्तावेजात के आधार पर मिन वादी अपने नाम प्रदीप का अंकन कर इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिकी वादी पाने का हकदार है। मिन वादी विवादित आराजी पर बदस्तूर शान्तिपूर्वक काबिज व दाखिल चला आ रहा है तथा मौके पर मिन वादी का वास्तविक कब्जा है। मिन वादी को कानून कायदे की कतई जानकारी नहीं है। वक्त दर्ज करते वादी के घर के नाम पप्पू के अंकन की जानकारी भी नहीं रही है। मिन वादी को अपनी पारिवारिक आवश्यकता के लिए रकम की जरूरत हुई व आराजी को बैंक में रहने करने का विचार बनाया, जिस पर मिन वादी ने हाल जमाबन्दी की नकल ली तो उसमें वादी के घर का नाम पप्पू के अंकन होना पाया। जिस पर कानूनी राय मशवरा कर दिनांक 31.03.2022 को प्रतिवादी तहसीलदार के समक्ष आवेदन मय अपने समस्त दस्तावेजात मय जमाबन्दी सहित पेश कर नाम दुरूस्त कराने का निवेदन किया तो प्रतिवादी तहसीलदार नाम दुरूस्त कराने से इन्कार हो गये व प्रतिवादी तहसीलदार ने कहां कि यह ईश्तकरारहक मय दुरुस्ती का मामला है और एस.डी.एम. में जाकर चाराजोही करो। जिससे वादी के हकूको पर कुठाराघात है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

इसलिए वादी को अपने हकूको की रक्षार्थ यह वाद पत्र ईस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज का पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त विवादित आराजी में मिन वादी के हक हकूक निहित है है तथा मौके पर मिन वादी काबिज व दाखिल चला आ रहा है तथा मौके पर वादी का वास्तविक कब्जा है। वादी को अपने हकूको की रक्षार्थ यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। हाल आराजी खसरा नं. 331 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 37 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 168 रकबा 2.19 हैक्टेयर, 272 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 327 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 270 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 271 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 333 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 273 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 33 रकबा 0.50 हैक्टेयर, 36 रकबा 0.51 हैक्टेयर, 38 रकबा 0.48 हैक्टेयर, 111 रकबा 0.56 हैक्टेयर वाके ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा, की जमाबन्दी में वादी के परिवारजन व अन्य सहखातेदारान के नाम का अंकन दर्ज रिकार्ड है व वादी के परिवारजन तथा सहखातेदारान अपने हिस्से की भूमि पर काबिज व दाखिल है। मिन वादी ने दीगर आराजी में अपने नामित हिस्से को ही इस वाद में विवादित बनाया है। जिस कारण सहखातेदारान के खिलाफ वाद दायर नहीं किया है और ना ही उनके खिलाफ कोई अनुतोष चाहा है। डिकी इजाय इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की पारित की जावे कि विवादित हाल आराजी खसरा नं. 331 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 37 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 168 रकबा 2.19 हैक्टेयर, 272 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 327 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 270 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 271 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 333 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 273 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 33 रकबा 0.50 हैक्टेयर, 36 रकबा 0.51 हैक्टेयर, 38 रकबा 0.48 हैक्टेयर, 111 रकबा 0.56 हैक्टेयर में मिन वादी का नामित हिस्सा वाके ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने वादी के नाम विवादित आराजी का अंकन राजस्व रिकार्ड में करते समय वादी के घर के बोलते हुये नाम पप्पू का अंकन कर दिया। जबकि राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों को मिन वादी के दस्तावेज के अनुसार सही नाम प्रदीप का अंकन जमाबन्दी में करना चाहिये था। वादी का गलत नाम पप्पू के जमाबन्दी में अमल रहने से वादी के हकूको पर कुठाराघात होता है, जो गलत नाम वादी के हकूको के खिलाफ बातिल वो बेअसर है। जिसे वादी गलत नाम पप्पू को जमाबन्दी से हजफ कराकर दस्तावेजात के आधार पर मिन वादी अपने नाम प्रदीप का अंकन कर इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिकी वादी पाने का हकदार है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन तलब किया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया।

वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रदीप पुत्र दलीप सिंह उम्र 51 साल निवासी ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान), मन्नू पत्नी पृथ्वी सिंह निवासी ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान), ईश्वरमल पुत्र सांवलिया निवासी ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम पंचायत विरामपुर का प्रमाण पत्र (प्रदर्श–1), पार्षद नगर पालिका तिजारा वार्ड नम्बर 2 का प्रमाण पत्र (प्रदर्श–2), नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 (प्रदर्श–3), तहसीलदार तिजारा रिपोर्ट (प्रदर्श–17) पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

यह कि प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकीह नम्बर 1 – आया वादी विवादित आराजी खसरा सं. 331 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 37 रकबा 0. 03 हैक्टेयर, 168 रकबा 2.19 हैक्टेयर, 272 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 327 रकबा 0. 06 हैक्टेयर, 270 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 271 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 333 रकबा 0. 21 हैक्टेयर, 273 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 33 रकबा 0.50 हैक्टेयर, 36 रकबा 0.51 हैक्टेयर, 38 रकबा 0.48 हैक्टेयर, 111 रकबा 0.56 हैक्टेयर वाले ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर के राजस्व रिकोर्ड हाल जमाबंदी में अपना नाम पप्पू के स्थान पर प्रदीप दर्ज कराने का अधिकारी है।

— जिम्मे वादी

(2)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

प्रतिलिपि ... मुताबिक हाल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

उपरोक्त तनकी का विवेचन किया गया व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

01. प्रदर्श 1 में सरपंच ग्राम पंचायत असलीमपुर तहसील तिजारा द्वारा प्रदीप व पप्पू एक ही व्यक्ति के दोनो नाम होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

02. प्रदर्श 2 में पार्षद वार्ड संख्या 2 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रदीप उर्फ पप्पू पुत्र दलीप सिंह वार्ड नं0 2 तिजारा में हाल निवास कर रहा है और प्रदीप व पप्पू एक ही व्यक्ति के दोनो नाम होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

03. प्रदर्श 3 वादी द्वारा अपने प्रदीप व पप्पू दो नाम होने के संबंध में दो गवाह न्यायालय में परिक्षित कराये है

04. प्रदर्श 17 तहसीलदार तिजारा द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशनकार्ड में नाम प्रदीप पुत्र दलीप सिंह बने है। कार्यालय नगर पालिका द्वारा जारी रसीद में प्रार्थी का नाम प्रदीप कुमार उर्फ पप्पू पुत्र दलीप सिंह अंकित है।

उपरोक्त दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी पप्पू व प्रदीप एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग नाम है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का सही अमल कराने का अधिकारी पाया जाता है। इसलिए यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2 – दीगर दादरसी?

यह की खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें।

अतः वाद वादी डिकी किया जाकर हाल आराजी खसरा नं. 331 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 37 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 168 रकबा 2.19 हैक्टेयर, 272 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 327 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 270 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 271 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 333 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 273 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 33 रकबा 0.50 हैक्टेयर, 36 रकबा 0.51 हैक्टेयर, 38 रकबा 0.48 हैक्टेयर, 111 रकबा 0.56 हैक्टेयर वाके ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा में वादी का नाम पप्पू पुत्र दलीप को हजफ कर प्रदीप पुत्र दलीप किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तद्नुसार पर्चा डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(संजीव कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (खैरथल–तिजारा) राज0
पीठासीन अधिकारी संजीव कुमार वर्मा (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 238A /2022 | तारीख दायर 16-5-2022 | तारीख फैसला 15/10/2024

उनवान

01. प्रदीप पुत्र श्री दलीप सिंह निवासी ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा, हाल आवाद पैट्रोल पम्प के पास, तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

––––:: वादी

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

–––––:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज,
अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: पर्चा डिक्री ::–

हाल आराजी खसरा नं. 331 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 37 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 168 रकबा 2.19 हैक्टेयर, 272 [illegible] 0.32 हैक्टेयर, 327 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 270 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 271 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 333 रकबा 0. [illegible]क्टेयर, 273 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 33 रकबा 0.50 हैक्टेयर, 36 रकबा 0.51 हैक्टेयर, 38 रकबा 0.48 हैक्टेयर, [illegible] रकबा 0.56 हैक्टेयर वाके ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा में वादी का नाम पप्पू पुत्र [illegible] को हजफ कर प्रदीप पुत्र दलीप किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल [illegible]द किया जावें।

आदेश सुनाया गया।

(संजीव कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)